

न्यायालय –सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-270 / 2006
 संस्थित दिनांक-08 / 05 / 2006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

विरुद्ध

1-उदेलाल पिता ताराचंद ऐड़े, उम्र-38 वर्ष,
 निवासी-ग्राम कोरजा, थाना परसवाड़ा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-लवी उर्फ नीतेश अभिदीप मेनवल पिता नेलशन ईसाई, उम्र-31 वर्ष,
 निवासी-नरसिंहटोला बैहर, थाना बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपीगण**

// निर्णय //

(आज दिनांक-02 / 07 / 2015 को घोषित)

1- आरोपी उदेलाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के उसने दिनांक-18.02.2006 को रात्रि करीब 07:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत कमलेश गुरुजी के घर के सामने की रोड जो कि लोकमार्ग है पर वाहन क्रमांक-एम.पी.22/ई-3725 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए आहत सुशीलाबाई के बाएं हाथ में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना बीमा व वैध लाईसेंस के चलाया एवं आरोपी लवी उर्फ नीतेश के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-190 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने फरियादी/आहत सुशीलाबाई को क्षति कारित करने की धमकी इस प्रयोजन से दी की वह थाना प्रभारी, बैहर जो कि लोकसेवक के नाते उसकी सुरक्षा करने या कराने के लिए वैध रूप से सशक्त था, अपनी संरक्षा के लिए आवेदन देने से विरत या प्रतिविरत रहे।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-18.02.2006 को फरियादी सुशीलाबाई नरसिंहटोला से शाम 7:00 बजे काम करके अपने घर जा रही थी कि तभी कमलेश गुरुजी के घर के किनारे रोड से जाते समय एक मोटरसाईकिल

बजाज चैम्पियन क्रमांक-एम.पी-22 ई/3725 का चालक मोटरसाइकिल को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आया और उसे पीछे तरफ से ठोस मार दिया, जिससे वह गिर गई और गिरने से उसके बाएं हाथ की कलाई, कोहनी में चोट आई थी, उस समय उसके साथ गांव के नारु गोंड, घनश्याम गोंड, रतन गोंड भी थे। चोट लगने के बाद वह रिपोर्ट करने थाना आ रही थी तो मोटरसाइकिल चालक एवं बैहर का लवी ईसाई नरसिंहटोला तरफ से आया और उसे रिपोर्ट करने से रोका और ईलाज कराने और पैसे देने का लालच देकर उसे सीधे अस्पताल लेकर गया और बोला कि डॉक्टर साहब को छत से गिरकर चोट आना बताना, तो उसने उसके कहे अनुसार डॉक्टर साहब को बताई और रिपोर्ट करने नहीं गई। उसके बाद उसने ईलाज के लिए पैसे नहीं दिए, तो वह कई बार लवी के पास पैसे के लिए गई। मोटरसाइकिल चालक द्वारा लवी को ईलाज हेतु पैसे दिए गए थे, लेकिन लवी उर्फ नीतेश ने उसे ईलाज हेतु पैसे नहीं दिए। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी सुशीलाबाई द्वारा थाना बैहर में दर्ज करायी गई, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-26/06, धारा-279, 337, 190 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार कर दुर्घटना कारित वाहन को जप्त कर, विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर आहत को अस्थिभंग होने से एवं आरोपी के पास घटना के समय वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति नहीं होने से आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-338 मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 का इजाफा कर तथा आरोपी लवी उर्फ नीतेश के विरुद्ध धारा-190 भा.द.वि. के अंतर्गत अनुसंधान उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी उदेलाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के अंतर्गत एवं आरोपी लवी उर्फ नीतेश के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-190 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी उदेलाल ने दिनांक-18.02.2006 को रात्रि करीब 07:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत कमलेश गुरुजी के घर के सामने की रोड जो कि लोकमार्ग है पर वाहन क्रमांक-एम.पी.22/ई-3725 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी उदेलाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत सुशीलाबाई के बाएं हाथ में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी उदेलाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा व वैध लाईसेंस के चलाया ?
4. क्या आरोपी लवी उर्फ नितेश ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी/आहत सुशीलाबाई को क्षति कारित करने की धमकी इस प्रयोजन से दी की वह थाना प्रभारी, बैहर जो कि लोकसेवक के नाते उसकी सुरक्षा करने या कराने के लिए वैध रूप से सशक्त था, अपनी संरक्षा के लिए आवेदन देने से विरत या प्रतिविरत रहे ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत सुशीलाबाई (अ.सा.7) वह आरोपी लवी को जानती है। आरोपी उदेलाल को नहीं जानती। घटना आज से लगभग बहुत पहले की है। वह निश्चित नहीं बता सकती कि कितने साल हो गए हैं, क्योंकि वह पढ़ी-लिखी नहीं है। घटना दिनांक को वह बैहर से शाम के लगभग 6:00 बजे काम करके अपने घर सिंगोड़ी पैदल अपने साईड से जा रही थी, जैसे ही जेल बिल्डिंग के सामने पहुंची तो सामने से एक मोटरसाइकिल वाले ने आकर उसके साईड में आकर उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गिर गई थी और उसका बाया हाथ टूट गया था। उसके साथ उसके गांव के लोग नारू, घनश्याम और रतन भी थे, जो उसके पीछे साइकिल से आ रहे थे। उसे जिस मोटरसाइकिल से टक्कर मारी गई थी, वह उसके चालक को नहीं जानती है और न ही उसे पहचानती है। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में उसके बाद बालाघाट में हुआ था। आरोपी लवी ने उसे बालाघाट ईलाज हेतु लेकर गया था। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे ईलाज कराने

के लिए पैसे देने के लिए कहा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे किसने ठोस मारा था, उसने नहीं देखी थी। इस प्रकार साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है।

6— घनश्याम (अ.सा.1), नारू (अ.सा.2), रतनलाल (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वे आरोपीगण को नहीं जानते तथा घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षीगण ने उनके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथनों से अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

7— डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-19.02.2006 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर के आरक्षक संतोष क्रमांक-188 द्वारा सुशीलाबाई पति सुखराम उम्र-27 वर्ष, निवासी झारा को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसने आहत के शरीर पर दो चोटें पाई थी, जिसमें चोट क्रमांक-1 बाएं भुजा पर बाहर के तरफ पाया था, जो तिरछापन लिए हुई थी तथा जिसमें अस्थिभंग की आवाज आ रही थी। चोट क्रमांक-2 बाएं हाथ में टेढ़ा-मेढ़ा बाहर तरफ थी। दिनांक-05.03.2006 को एम.एल.सी. के लिए लाया गया था। उसके द्वारा मरीज को दिनांक-18.02.2006 को भर्ती किया गया था तथा दिनांक-19.02.2006 को मुलाहिजा किया गया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसमें उसका ईलाज जिला चिकित्सालय बालाघाट में होना बताया था। उक्त साक्षी ने अपने अभिमत में कथन किये हैं कि उसके द्वारा मरीज को दिनांक-18.02.2006 को भर्ती कर हड्डी रोग विशेषज्ञ को रेफर कर दिया गया था तथा चोट क्रमांक-1 के लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी। चोट क्रमांक-2 साधारण प्रकृति की थी, जो कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत का एक्सरे करवाया गया था, जिसमें उसने आहत के बाएं हाथ में अस्थिभंग होना पाया था। जिसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन नहीं किया गया है, इस प्रकार साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में आहत सुशीलाबाई को घोर उपहति कारित होने की पुष्टि की है।

8— शेख रसूल (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसे लगभग 12 वर्षों से मोटरसाईकिल रिपेयरिंग का अनुभव है। उसके द्वारा दिनांक-23.03.2006 को वाहन क्रमांक-एम.पी-22/3725 का परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने दोनों ब्रेक, स्टेरिंग, क्लच और टायर ठीक पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने कथित दुर्घटना कारित वाहन का मुलाहिजा करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिलेवार (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-01.03.2006 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे अपराध क्रमांक-26/06, धारा-279, 337, 190 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। उक्त सूचना प्रतिवेदन प्रधान आरक्षक श्याम प्रकाश गायधने द्वारा लेख किया गया है, जिस पर श्यामप्रसाद गायधने के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर वह उनके साथ 3 वर्ष तक कार्य करने के कारण पहचानता है। विवेचना के दौरान दिनांक-01.03.2006 को सुशीलाबाई की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही सुशीलाबाई के कथन उसके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-04.03.2006 को साक्षी नारु, घनश्याम, रतनलाल के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-13.02.2006 को आरोपी उदेलाल से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-22/ई. 3725 क्षतिग्रस्त हालत में एवं बीमा के दस्तावेज जो दिनांक-06.08.2002 तक वैध था को और आर.सी. बुक जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी उदेलाल एवं लवी उर्फ नीतेश को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराकर, परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। आरोपी उदेलाल के पास वाहन चलाने का लायसेंस न होने एवं घटना के समय वाहन को बिना बीमा के चलवाने एवं चलाने से धारा-3/181 एवं 146/196 मो.व्ही. एक्ट एवं आहत को फ्रेक्चर होने से धारा-338 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया।

10— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलों में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। यद्यपि मामलों के महत्वपूर्ण

साक्षीगण के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने से प्रस्तुत समर्थनकारी साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

11— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने तथा स्वयं आहत ने आरोपी उदेलाल की कथित दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में पहचान नहीं की है। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि आहत सुशीलाबाई को मोटरसाइकिल दुर्घटना में अस्थिभंग होने से घोर उपहति कारित हुई थी, किन्तु उक्त दुर्घटना आरोपी की मोटरसाइकिल से या आरोपी के द्वारा कारित की गई, इस संबंध में किसी भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी उदेलाल के विरुद्ध कोई विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्य पेश नहीं है। आरोपी उदेलाल के द्वारा घटना के समय कथित दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल का चालन किया जाना प्रमाणित नहीं है। इस कारण यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी उदेलाल ने कथित मोटरसाइकिल को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया या बिना लायसेंस के या बिना बीमा कराए उक्त वाहन का चालन किया।

12— आरोपी लवी उर्फ नीतेश के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में किसी भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। स्वयं फरियादी सुशीलाबाई (अ.सा.7) एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेन्द्र (अ.सा.5) ने आरोपी लवी उर्फ नीतेश के विरुद्ध आरोपित अपराध कारित किये जाने का कथन नहीं किया है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेन्द्र (अ.सा.5) ने आरोपी लवी उर्फ नीतेश को किस कारण अभियोजित किया है, इसका खुलासा अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। इस प्रकार आरोपी लवी उर्फ नीतेश के विरुद्ध कथित अपराध के संबंध में पूर्णतः साक्ष्य का अभाव है। इस कारण अभियोजन का मामला आरोपीगण के विरुद्ध संदेहास्पद हो जाता है।

13— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है। फलस्वरूप आरोपी उदेलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/192 के अपराध के अंतर्गत एवं आरोपी लवी उर्फ नीतेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-190 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

14— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक—एम.पी.22/ई.3725 मय दस्तावेज सहित सुपुर्ददार उदेलाल पिता ताराचंद, जाति पंवार, निवासी—ग्राम चारटोला, कोरजा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अतएव अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)